छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए (राज्य वित्त) (प्रतिवेदन क्रमांक 1) छत्तीसगढ़ शासन तथा

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) (प्रतिवेदन क्रमांक 2) छत्तीसगढ़ शासन **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2009-2010 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, अमरजीत भगत, धर्मजीत सिंह, सदस्य, बस्तर क्षेत्र के अनेक गांवों में सुरक्षा जवानों द्वारा ग्रामीणों की हत्या किये जाने एवं उनके घरों को आग लगाए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में एफ.सी.आई. गोदाम हेतु अनुपयुक्त स्थल का चयन कर गोदाम निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नंद कुमार पटेल, सभापति, लोक लेखा समिति का छियासठवां, सड़सठवां, अड़सठवां, उन्हत्तरवां, सत्तरवां, इकहत्तरवां, बहत्तरवां, तिहत्तरवां, चौहत्तरवां, पचहत्तरवां, छिहत्तरवां, सतहत्तरवां, अठहत्तरवां, उन्यासीवां एवं अस्सीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमश: 2

(2) श्री दीपक कुमार पटेल,सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चतुर्थ,पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री सेवकराम नेताम, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य, मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम दनगढ़ में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने,

(ii) ग्राम सिवनी में एनीकट निर्माण करने,

(iii) ग्राम दिघवाड़ी में हाई स्कूल खोलने,

(iv) ग्राम औंधी में महाविद्यालय खोलने,

(2) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम उमरवाही में महाविद्यालय खोलने,

(ii) ग्राम ब्राम्हणलंझिया में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iii) नगर पंचायत छुरिया में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने,

(iv) छुरिया मुख्य मार्ग से मगर घोखरा मार्ग में स्थित नाले पर रपटा सह स्टापडेम निर्माण करने,

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर,सदस्य,सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोरिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(4) श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम गुजरा में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम बिलाड़ी में हाई स्कूल खोलने,

(5) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माड़ो स्थित हर्री नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(6) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम ओडान में संचालित हाई स्कूल में अहाता निर्माण करने,

(ii) लवन से तुरमा तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(7) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौना में हाई स्कूल खोलने,

(8) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य, भटगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम खोपा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम खोड़ में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम बिहारपुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम बेदमी में संचालित हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

क्रमशः 3

(v) ग्राम चपदा (पीपरखाड़) में गोखनई नाले पर लिफ्ट एरीगेशन की सुविधा प्रदान करने,

(vi) ग्राम टमकी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(vii) ग्राम ओडगी बोड़ मार्ग में स्थित कोट नदी पर पुल निर्माण करने,

(9) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम मोंहदी में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) नगर पंचायत कूंरा में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम कुम्हारी में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने,

(iv) ग्राम तेन्दुआ में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(10) श्री रामजी भारती, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुढ़ीपार में प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने,

(11) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलगा से कोतरलिया रेल्वे स्टेशन तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण करने,

(12) श्री ब्रम्हानंद, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम गोड़पाल में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम ईरागांव में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(13) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम टटेगा से औरी मार्ग का डामरीकरण करने,

(ii) ग्राम देवरीबंगला में खरखरा नदी पर स्टापडेम निर्माण करने तथा

(iii) ग्राम टटेगा से औरी के मध्य खरखरा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमश: 4

7. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

(शेष चर्चा)

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	31	योजना,आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
मांग संख्या	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(4 बजे) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) का पुर:स्थापन *करेंगे.

रायपुर
दिनांक 27 मार्च, 2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .